

Tenders (निविदाएं)

क्या करें

- ✓ अनुसूची तैयार करते समय शुद्धि पत्रों/दर-अनुसूची में परिवर्तनों, इंजीनियरिंग संहिताओं, अनुबंधों की सामान्य शर्तों, आई.एस. संहिताओं, आरडीएसओ दिशानिर्देशों, मानक नक्शों इत्यादि की जाँच कर लें।
- ✓ सभी निविदाओं को खोलने के लिए, आपात स्थिति में छोड़कर, उचित भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त और उचित न्यूनतम समय (जैसा कि निर्धारित है) की अनुमति दें।
- ✓ अनुमोदित प्लान की विशेष जानकारी के लिए जहाँ टेण्डर में विशेष मद दर उद्धृत करना हो, अनुमोदित प्लान की प्रतियों की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित करें।
- ✓ केवल ऐसे प्रस्तावों पर विचार करें जो कि उचित रूप में बयाना राशि के साथ दिया गया हो। यदि बयाना राशि अपर्याप्त, अनुचित रूप में एवं विस एवं मुले अधिकारी के पक्ष में नहीं दिया गया हो तो ऐसे प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।
- ✓ सुनिश्चित करें कि निविदासार (तुलनात्मक कथन) और संक्षिप्त टिप्पणी तैयार किया गया है एवं प्रत्येक पृष्ठ पर संबंधित अधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किया गया है।
- ✓ सुनिश्चित करें कि प्राप्त प्रस्तावों की रेटिंग विशेष शर्तों का उचित मूल्यांकन एवं वित्तीय सहमति के बाद उचित रूप से किया गया है।
- ✓ सुनिश्चित करें कि निविदा समिति का गठन सक्षम स्तर के निर्दिष्ट अधिकारियों को मिलाकर विधिवत किया गया है।
- ✓ याद रखें – निविदाओं की स्वीकृति के दौरान बातचीत एक नियम के रूप में न होकर एक अपवाद होना चाहिए। यह केवल वैध एवं निम्नतम निविदाकर्ता के साथ होना चाहिए।
- ✓ यदि निम्नतम प्रस्ताव को अनदेखी/दरकिनार करना हो तो इसके अस्वीकार करने का संबंधित कारण दर्ज करें।
- ✓ यदि निम्नतम ऑफर किसी ऐसे संवेदक से प्राप्त होता हो जिसके विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की गई हो तो ऐसे प्रस्ताव के निष्पादन के पूर्व सक्षम अधिकारी का राय प्राप्त कर लें।
- ✓ प्रस्तावों के दरों की प्रमाणिकता को विशेष रूप से दोनों – कुल लागत एवं प्रत्येक महत्वपूर्ण मदों के दरों से संबंधित सूक्ष्मरूप से, तार्किक रूप से जाँच कर लेनी चाहिए। यह केवल पहले स्वीकार किये गये दरों के संदर्भ में न हो बल्कि बाजार दरों एवं दर विश्लेषणों को भी ध्यान में रखकर हो।
- ✓ निविदा समिति के कार्यवृत्त में स्वीकार्यता या अन्य कोई मद दर्ज करें परन्तु इसे फाईल के टिप्पणी पृष्ठ पर न दर्ज करें।

- ✓ विशेष रूप से लिमिटेड टेण्डर के रूप में किसी फर्म की सहयोगी संस्थाओं की पहचान करने का प्रयास करें जिससे कि रिंग-फार्मेशन को रोका जा सके।
- ✓ सुनिश्चित करें कि निविदा समिति की कार्यवृत्त सभी सूचनाओं जैसे कि समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर एवं तारीख, बैठक का स्थान, तिथि, के साथ परिपूर्ण हो।
- ✓ सुनिश्चित करें कि विशेष शर्तें, उच्च दर पर प्रस्ताव स्वीकार करने का अवसर न प्रदान करें। (जैसे कि यह व्यक्त करना कि स्टील की आपूर्ति निविदाकर्ता द्वारा की जायेगी एवं शामिल करना कि ऐसी आपूर्ति का भुगतान किया जायेगा, जो कि निविदाकर्ताओं द्वारा उद्धृत प्रतिशत दरों को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति का द्योतक है।)
- ✓ निविदा समिति की असहमति संबंधी टिप्पणी को ध्यानपूर्वक व्यवहार्य में लायें। समिति के अन्य सदस्यों के असहमति मत भी कार्यवृत्त का हिस्सा हो।
- ✓ अतिरिक्त कार्य को कार्यान्वित करने से पूर्व वैरिएशन स्टेटमेंट की स्वीकृति एवं संविदा विसिएशन सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
- ✓ टेण्डर ओपनिंग में कोई सुधार निविदा खोलने वाले अधिकारियों/पदाधिकारियों द्वारा अनुप्रमाणित किया जाना चाहिए।
- ✓ सुनिश्चित करें कि निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्र, दस्तावेज आदि टेण्डर ओपनिंग रजिस्टर में दर्ज हैं एवं एकाउण्टल किया हुआ है।
- ✓ प्रमाण पत्रों के नकली/जाली/हेराफेरी किये हुए दस्तावेजों इत्यादि की जांच कर लें।

क्या न करें

- ✘ गठित निविदा समिति के सदस्यों का बदलाव सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त किये बिना न करें।
- ✘ विशेष अपवादस्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर लेट/डिलेड टेण्डर पर विचार न करें और वह भी केवल निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए।
- ✘ विशेष शर्तों के मूल्यांकन में विसंगतियों की अनुमति न दें जिससे कि अनुसंशित प्रस्ताव की स्वीकृति प्रभावित हो।
- ✘ जैसे निविदाकर्ताओं से वार्ता न करें जो कि या तो मूल रूप से निविदा नहीं किये थे या जिनकी निविदा असंतोषजनक साख, क्षमता की अपर्याप्तता के कारण खारिज कर दी गई हो अथवा निविदाओं के साथ पर्याप्त बयाना राशि का अभाव अथवा निविदा अवैध है।
- ✘ वार्ता के दौरान संवेदक से कोटेशन स्वीकार न करें।
- ✘ निविदाओं के खुलने/वार्ता/अनुशांसा के बाद निविदाकर्ताओं के पत्र/अभ्यावेदन पर ध्यान न दें।
- ✘ ऐसे संशोधित प्रस्ताव, जिनपर निविदा समिति द्वारा विचार न किया गया हो, को स्वीकार न करें।

- ✘ निविदा में ऐसे अलग-अलग मद दरों को स्वीकार न करें जो कि असामान्य रूप से उच्च हैं या कार्य के प्रमुख मद के संबंध में कार्य करने के योग्य नहीं हैं ।
- ✘ एक लिमिटेड टेण्डर के काल के जवाब में यदि एक सिंगल टेण्डर ही प्राप्त होता है तो उसे स्वीकार न करें यदि कार्य बहुत जरूरी न हो और उसकी अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त कर ली गयी हो ।
- ✘ निविदा समिति के सदस्य होने के उपरांत निविदा स्वीकार्य प्राधिकारी के अधिकार का उपयोग न करें । इसे स्वीकार करने के लिए उच्च प्राधिकार के पास भेज दें ।
- ✘ निविदा समिति के एक या अधिक सदस्यों के असहमति टिप्पणी होने पर उसकी अनुशंसाओं को सर्वसम्मत सिफारिशों जैसा मान्य न करें ।
- ✘ बिना सक्षम अधिकारी के स्वीकृति के गैर अनुसूचित मदों को व्यवहार में न लायें। यदि अपवादस्वरूप ऐसा करना जरूरी हो तो आवश्यक साईट अभिलेख अनुरक्षित करें ।
- ✘ जहाँ कार्य को अनुसूचित मदों या उनके मिश्रण से कराना संभव हो वहां गैर-अनुसूचित मदों को व्यवहार में न लायें ।
- ✘ निविदा समिति के अद्यतन निविदा कॉल करने हेतु बार-बार सलाह देने के बाद, वार्ता का आदेश न दें, विशेष रूप से ऐसे समय जहाँ वार्ता का प्रत्युत्तर उपयुक्त न हो ।
- ✘ जबतक अतिरिक्त संशोधित अनुशंसा कार्यवृत्त समिति द्वारा प्रस्तुत न हो, पूर्व प्रेषित कार्यवृत्त में परिवर्तन की अनुमति न दें ।
- ✘ किसी भी प्रस्ताव की उपयुक्तता या अन्य कोई निर्णय हेतु विचार-विमर्श के पूर्व कोई भी सलाह निविदा समिति को न दें ।
- ✘ नियमित तरीकों के कार्यों की स्वीकृति कोटेशन पर न दें एवं निर्धारित वार्षिक वित्तीय सीमाओं का सख्ती के साथ पालन करें ।
- ✘ दो या अधिक एजेन्सियों को एक ही कार्यस्थल पर समान प्रकार के कार्यों में न लगाये । विभाग द्वारा कराए गए एवं ठेके द्वारा कराए गए कार्यों का मिश्रण न होने दें ।
- ✘ सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना निविदा शर्तों में परिवर्तन न करें ।

गिट्टी आपूर्ति

क्या करें

- ✓ प्रत्येक निविदा के साथ तीन सील किये हुए नमूने होना सुनिश्चित करें ।
- ✓ यह सुनिश्चित करें कि चट्टे लगाने वाली जमीन सममतल हो ।
- ✓ सुनिश्चित करें कि कृत्रिम सुरंग (विशेष रूप से बोल्टर आपूर्ति के मामलों में) चट्टों के बीच में न बना दी जाए ।
- ✓ निर्धारित न्यूनतम उंचाई से ज्यादा उंचा चट्टा न लगायें जैसा कि विनिर्दिष्टों या करार की शर्तों में वर्णित हो ।
- ✓ गिट्टी के चट्टों के कोनों पर भूमितल के कृत्रिम डिप्रेसिंग पर ध्यान दें । चट्टों में खराब गुणवत्ता जैसे बाहर अच्छी गिट्टी एवं अन्दर खराब गिट्टी/ऊपरी आकार गिट्टी पर नजर रखें ।
- ✓ निर्धारित संकुचन/छिद्रों की कटौती सुनिश्चित करें, चाहे वो चट्टा मापी हो अथवा बैगन/मात्रा मापी हो ।
- ✓ चट्टा मापी की स्थिति में चट्टे में नीचे की तरह अनुमानित मात्रा प्रदर्शित करें ।
- ✓ बैगन के प्रेषण से पहले चालान बनाना सुनिश्चित करें एवं बैगन से गिट्टी उतारने से पूर्व चालान को प्रमाणित करें ।
- ✓ प्रत्येक लोडिंग के पश्चात्, प्रत्येक चट्टे में अधिशेष गिट्टी की मात्रा प्रदर्शित करें ।
- ✓ ट्रैक में गिट्टी गिराने से पूर्व बैगन में गंतव्य पर उपलब्ध गिट्टी की मापी सुनिश्चित करें ।
- ✓ गिट्टी डिपों में बिल के पास करने एवं लोडिंग शुरू करने के बीच तीन दिन का समय अन्तराल सुनिश्चित करें । शेष आपूर्ति के संबंध में यह अन्तराल मापी के बाद 15 दिन या बिल पास करने के बाद कम से कम 10 दिन, जो भी कम हो, होना चाहिए ।
- ✓ गिट्टी के ग्रेडेशन के लिए सीव ऐनालिशिश करने से पूर्व सीव आकार एवं मान्य अपेर्चर टॉलरेन्स की जाँच कर लें ।
- ✓ हापर वैगनों की चिन्हित लाईन तक पूर्ण लदान सुनिश्चित करें । लदान रेखा वैगन के अन्दर और बाहर दोनों तरफ चिन्हित किया हुआ होना चाहिए ।
- ✓ सुनिश्चित करें की मात्रा, जितने के भुगतान के लिए ऑन एकाउंट बिल में प्रमाण पत्र दिया गया है, वास्तव में उतना काम बिल तिथि के पहले कर दिया गया है ।
- ✓ निर्धारित परीक्षण जांच के बाद ही बिल पास करें ।

क्या न करें

- ✗ बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के गिट्टी की आपूर्ति को रिसिड्यूल न करें । ऑन एकाउंट बिल तैयार करते समय कम आपूर्ति के लिए पेनाल्टी लगा कर वसूली प्राप्त करें ।
- ✗ खारिज सामग्रियों को रेलवे परिसर/कार्य की साइट पर विनिर्दिष्ट अवधि से ज्यादा रहने की अनुमति न दें ।

कार्यों का निष्पादन

क्या करें

- ✓ उचित पर्यवेक्षण द्वारा अच्छी कारीगरी सुनिश्चित करें ।
- ✓ संवेदक द्वारा आपूर्ति किये हुए सामग्रियों को प्रयोग में लाने से पूर्व निरीक्षण एवं पास करना सुनिश्चित करें। ऐसे जाँच का उचित रिकार्ड अनुरक्षित करें ।
- ✓ कार्य स्थल पर ठेकेदार को जारी किये हुए रेलवे सामग्री का उचित हिसाब रखें ।
- ✓ सभी स्कैप वैल्यू योग्य सामग्री का इन्वेन्टरी एवं रजिस्टर में हिसाब, विद्यमान संरचनाओं को तोड़ने से पूर्व सुनिश्चित करें। ऐसे प्राप्त सामग्रियों का उचित हिसाब एवं वर्गीकरण करें।
- ✓ संवेदकों को केवल प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से ही सामग्री जारी किया जाए, ऐसा सुनिश्चित करें एवं सभी निर्गतों का कार्य प्रगति में प्रयोग से तुलनात्मक बराबरी हो ।
- ✓ सुनिश्चित करें कि कंक्रीट कार्य के क्रियान्वयन के समय परीक्षण क्यूब तैयार किया जा रहा है एवं उनका परीक्षण हो रहा है ।
- ✓ सुनिश्चित करें कि संवेदक के प्रतिनिधि/पर्यवेक्षक कार्य किये जाने के दौरान भौतिक रूप से कार्यस्थल पर उपलब्ध रहें ।
- ✓ नये गैर अनुसूचित दरों का उचित दर विश्लेषण सुनिश्चित करें । निविदा अनुसूची तैयार करते समय उनके अतिरेकता की जांच करें ।
- ✓ मिट्टी के कार्य के लिए अनुमेय घटाव की कटौती विशिष्टताओं के अनुसार करें।
- ✓ निविदा सूचना एवं निविदा दस्तावेजों के अनुसार निविदा शर्तों का मूल्यांकन सख्ती के साथ करें ।
- ✓ सुनिश्चित करें कि स्टील कार्य के लिए प्राप्त संरचनात्मक स्टील, विशिष्टताओं/करारों में वर्णित प्राधिकृत निर्माताओं से है।
- ✓ नक्शों, स्थानों आदि में विचलन तथा अतिरिक्त गैर अनुसूची मदों को सम्मिलित करते समय उचित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करें ।
- ✓ सामग्रियों को परीक्षण के लिए (जब तक करार में अन्य रूप में निर्दिष्ट न हो) राष्ट्रीय परीक्षण सदनों और भारतीय मानक संस्थानों जैसे प्रतिष्ठित सरकारी प्रयोगशालाओं के पास भेजा जाना चाहिए, ताकि हेरफेर की आशंकाओं से बचा जा सके।
- ✓ सामग्रियों का परीक्षण करार में निर्दिष्ट अन्तराल पर सुनिश्चित करें। कभी-कभी यह देखा गया है कि एक बार परीक्षण कराने के बाद सामग्री की पूर्ण मात्रा की आपूर्ति, पास एवं प्रयोग की अनुमति प्रदान कर दी जाती है। जबकि करार निर्दिष्ट करता है कि विशिष्ट निश्चित मात्रा की आपूर्ति या निश्चित समयावधि के उपरांत परीक्षण किया जाना है।
- ✓ मृदा नमूनों को अधिकतम शुष्क घनत्व (एमडीडी) एवं उच्चतम नमी मात्रा (ओएमसी) की परीक्षण के लिए पाठ्य प्रयोगशालाओं को भेजने के दौरान सदैव निर्दिष्ट करें कि

एमडीडी एवं ओएमसी परीक्षण की आवश्यकता भारी संघनन परीक्षण (आई.एस. 2720 भाग-टप्प के अनुसार) के लिए है अन्यथा संबंधित प्रयोगशाला नमूनों का परीक्षण हल्के संघनन परीक्षण (आई.एस. 2720 भाग-टप्प के अनुसार) के लिए कर सकता है, जिससे कि मिट्टी कार्य बहुत ही निम्न गुणवत्ता का प्राप्त होता है ।

- ✓ निर्माण परियोजनाओं में मिट्टी का कार्य निष्पादित करने से पूर्व मृदा नमूनों को संबंधित उप मुख्य इंजीनियर द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है (मृदा जाचं प्राप्त होने के उपरान्त)। इस शर्त के अनुपालन के बाद ही मिट्टी कार्य प्रारंभ की अनुमति दें ।
- ✓ त्वरित निरीक्षण करें, साईट आर्डर बुक में दर्ज आदेशों का उचित एवं समय पर अनुपालन सुनिश्चित करें एवं साईट आर्डर बुक में अनुपालन को दर्ज करें ।
- ✓ कार्य स्थलों के निरीक्षण करते समय उच्च पदाधिकारियों द्वारा साईट आर्डर बुक में अपनी टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए । यदि उन्हें लगता है कोई विशेष निर्देश/आदि नहीं दर्ज करना है तो भी कम से कम उनके द्वारा "देखा" शब्द दर्ज होना चाहिए ।

क्या न करें

- ✘ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, कार्य की उचित स्वीकृति के बिना उसके क्रियान्वयन की अनुमति न दें एवं उपयुक्त प्राधिकारी की स्वीकृति तुरंत प्राप्त करें ।
- ✘ पुराने ठेकेदार द्वारा पूर्ववत अनुबंध के आंशिक रूप से छोड़े गये कार्य को उसका अंतिम मापी लेने के पूर्व किसी दूसरे संवेदक को कार्य निष्पादित करने की अनुमति न दें तथा इसकी स्वीकृति दोनों पुराने एवं नये संवेदकों से प्राप्त कर लें ।
- ✘ घटिया सामग्री के प्रयोग की अनुमति न दें ।
- ✘ ठेकेदार को ऐसी अनुमति न दें कि वे अपने विवेक पर पहले उन मदों को निष्पादित करें जो कि लाभदायक हो ताकि ठेकेदार की कार्य समाप्ति की रूचि जीवित रहे ।
- ✘ अन्य विभागों के मातहत कर्मचारियों को सामग्री जारी करने की अनुमति न दें जब तक उनके नियंत्रण अधिकारी ने अनुमोदन न प्रदान कर दिया हो ।
- ✘ साईट आर्डर बुक में अस्पष्ट निर्देश न दें ।
- ✘ ऐसी कल्पना न करें कि चूंकि खण्ड का निरीक्षण उच्चाधिकारियों द्वारा अक्सर किया जा रहा है इसलिए पुनः कुछ भी नहीं देखा जाना है (उच्चाधिकारियों द्वारा अपने निरीक्षण नोट/साईट आर्डर बुक में उठाये गये बातों के अलावा अन्य) ।
- ✘ ऐसी सामग्रियों को पास न करें जो कि संविदा करार में वर्णित विनिर्देशों से भिन्न हो तथा जब तक कि सामग्रियों के विनिर्देशों में परिवर्तन कम से कम सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हो (लेखा विधीक्षण सहित अन्य प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद, यदि आवश्यक हो) ।
